UPBJ010042362019

न्यायालय–अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, (ई0सी0 एक्ट), बिजनौर।

सत्रवाद संख्या–120/2019
सरकार बनाम नसीमा

10–06–2026

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थिनी/अभियुक्ता श्रीमती नसीमा बेवा कमालुद्दीन की ओर से प्रार्थनापत्र क–12 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिनी विद्युत कनेक्शन सं0 6644063975 की उपभोक्ता है। प्रार्थिनी का उक्त विद्युत कनेक्शन दि0 30–12–24 को अस्थायी रूप से विच्छेदित कर दिया गया था। प्रार्थी का मीटर सं0 5052200 है। प्रार्थिनी विद्युत विभाग अफजलगढ़ एवं निकट नई तहसील चांदपुर जनपद बिजनौर ने बकाया बिल की धनराशि को इस प्रकार दर्शाया कि कुल बकाया 13,068.85 रूपये एवं मूल बकाया धनराशि 11,300.60 रूपये तथा सरचार्ज ब्याज की धनराशि 1786.25 रूपये दर्शाया है तथा दि0 21–12–25 को एक मुश्त भुगतान राहत योजना 2025–2026 के अन्तर्गत रसीद प्राप्त कर प्रार्थिनी ने दि0 26–12–25 को 7,312/–रूपये जमा किये। उसके बाद जब प्रार्थिनी विद्युत वितरण खंड धामपुर जनपद बिजनौर में समन शुल्क की रसीद लेने गयी तो प्रार्थिनी से 14,000/–रूपये समन शुल्क की मांग कर रहे है जो गलत एवं खिलाफ कानून है। प्रार्थिनी एक वेवा औरत है। तद्नुसार प्रार्थिनी/अभियुक्ता श्रीमती नसीमा द्वारा उपरोक्त सम्बन्ध में उचित जांच एवं कार्यवाही करने का आदेश दिये जाने की प्रार्थना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में विनोद कुमार गंगवार अधिशासी अभियन्ता द्वारा इस आशय की आख्या दी है कि उपरोक्त वाद सं0 120/2019, सरकार बनाम श्रीमती नसीमा के सम्बन्ध में आपको सादर अवगत कराना है कि उपभोक्ता श्रीमती नसीमा खातून पत्नी श्री कमलुद्दीन ग्राम मुजाहिदपुर का संयोजन को दि0 23–01–2018 को विद्युत बकाया रू0 33,554.00 पर अस्थायी विच्छेदित कर दिया गया था किन्तु दिनांक 07–02–2018 को अवर अभियन्ता 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र ताजपुर द्वारा उक्त परिसर पर जांच की तो पाया कि उपभोक्ता द्वारा बिना बकाया जमा किये विद्युत आपूर्ति पुनः सुचारू कर ली थी। जिसके विरूद्ध विभागीय

नियमानुसार कार्यवाही करते हुये अवर अभियन्ता द्वारा चैंकिग रिपोर्ट सं0 3937 दि0 07–02–2018 भरी गयी एवं विद्युत अधिनियम की धारा 138–बी के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी। **उक्त चैकिंग रिपोर्ट के अनुसार कुल शमन शुल्क 8,000.00 रू0 व 8,000.00 रू0 राजस्व निर्धाधरण किया गया। उपभोक्ता द्वारा उक्त चैकिंग रिपोर्ट के सापेक्ष निर्धारित राजस्व एवं शमन शुल्क तद्दिनांक तक जमा नहीं किया गया है।** उक्त आख्या को विद्वान विशेष लोक अभियोजन द्वारा सबमिटेड किया गया है।

इस प्रकार अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रार्थिनी/अभियुक्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में स्वयं कथन किया है कि प्रार्थिनी पर कुल बकाया 13,068.85 रू0 एवं मूल बकाया धनराशि 11,300.60 रू0 तथा सरचार्ज ब्याज की धनराशि 1786.25 रू0 है और प्रार्थिनी द्वारा मात्र 7,312.00 रू0 जमा कर रसीद प्राप्त की गयी है जबकि विद्युत विभाग की ओर से अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्राप्त आख्या के अनुसार शमन शुल्क 8,000.00 रू0 व राजस्व निर्धारण 8,000.00 रू0 किया गया है जो कि प्रार्थिनी द्वारा जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रार्थिनी के द्वारा न तो शमन शुल्क और न ही राजस्व निर्धारण का भुगतान सम्बन्धित विभाग को किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में जबकि उक्त प्रकरण का परीक्षण अभी जारी है। अतः अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थिनी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र सन्धार्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिनी/अभियुक्ता का प्रार्थनापत्र क–12 दिनांकित 06–04–2026 तदानुसार निस्तारित किया जाता है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दि0 10–07–2026 को पेश हो।

दि0–10–06–2026

(सीमा वर्मा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, (ई0सी0 एक्ट)
बिजनौर।
JO CODE UP-1662

Digitally signed by SEEMA VERMA
Date: 2026.06.10 16:29:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court